



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची  
दूरभाष - (0651) 2403852, 2403851, फ़ैक्स- (0651) 2403850

अधि0 सं0 B-15

राँची, दिनांक 10/05/14

## अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-05, दिनांक 25.02.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए Red, Orange & Green category इकाईयों को पर्षद द्वारा 05 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किये जायेंगे, बशर्ते कि -

1. इकाईयों से 05 वर्षों के लिए शुल्क के साथ सहमति आवेदन प्राप्त हो;
2. इकाईयों का सहमति पत्र पूर्व में निर्गत किया जा चुका हो एवं सभी शर्तों का अनुपालन किया गया हो;
3. इकाई के विरुद्ध किसी प्रकार का शिकायत अथवा मुकदमें दर्ज नहीं हो;
4. इकाई द्वारा सहमति/पूर्व सहमति के सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया गया हो;
5. प्रत्येक वर्ष सहमति पत्र के शर्तों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा आवश्यक रूप से क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी एवं प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजेगें । शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

H0/-

(डॉ महेन्द्र महतो)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक.....

राँची, दिनांक .....

**प्रतिलिपि:** प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव, उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक, उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

H0/-

(डॉ महेन्द्र महतो)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-1500

राँची, दिनांक 10/05/14

**प्रतिलिपि:** सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद विश्लेषक/सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/पर्षद सूचनापट्ट/पर्षद वेब साईड पर अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डॉ महेन्द्र महतो)

सदस्य सचिव

H0/-